रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2507] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2015/अग्रहायण 3, 1937
No. 2507] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 113/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3162(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स जैम कॉरपोकैम प्राइवेट लिमिटेड, सं. 39/41, अशोक चैम्बर्स, तीसरा तल, देवजी रतनशी मार्ग, मस्जिद (पूर्व), मुंबई-400099 एवं अन्य को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, चेन्नै ज़ोनल यूनिट, चेन्नै द्वारा जारी दिनांक 18 नवम्बर, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/सीज़ैडयू/VIII/48/ईएनक्यू-I/आईएनटी.34/2014 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-I आयुक्तालय, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन-II, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, उरण, जिला-रायगढ़-400707;

(ii) सहायक/उप आयुक्त, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क का कार्यालय, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-I, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/31/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 113/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Principal Commissioner of Customs, Nhava Sheva-I, JNCH to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Principal Commissioner of Customs, Nhava Sheva-I Commissionerate, Mumbai Customs Zone-II, Jawaharlal Nehru Customs House, Nhava Sheva, Uran, Dist.-Raigad-400707;

(ii) the Assistant/Deputy Commissioner of Customs, O/o the Principal Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Sahar, Andheri(East) Mumbai-400099,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Gem Corpochem Private Limited, No. 39/41, Ashok Chambers, 3rd Floor, Devji Ratanshi Marg, Masjid (E), Mumbai-400099 and others issued vide Show Cause Notice number DRI/CZU/VIII/48/ENQ-I/INT.34/2014, dated the 18th February, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Chennai Zonal Unit, Chennai.

[F. No. 437/31/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 114/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3163(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स श्री ग्रोटेक्स ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. जी-6, क्रॉस रोड, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093 के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, चेन्नै ज़ोनल यूनिट, चेन्नै द्वारा जारी दिनांक 6 मई, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. VIII/26/238/2011-डीआरआई से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) आयुक्त (सीमा शुल्क), आयुक्तालय चेन्नै- III, कस्टम हाऊस, राजाजी सलै, चेन्नै-600001;

(ii) अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क, आयुक्तालय मुंबई-III, मुंबई ज़ोन-III, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा आयुक्त (सीमा शुल्क), आयुक्तालय चेन्नै- III को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/34/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 114/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, Chennai-III Commissionerate to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Commissioner of Customs, Chennai-III Commissionerate, Custom House, Rajaji Salai, Chennai-600001;

(ii) the Additional/Joint Commissioner of Customs, Mumbai-III Commissionerate, Mumbai Zone III, Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai-400099,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Shri Grotex Trade Links Private Limited, Plot No. G-6, Cross Road, MIDC, Andheri East, Mumbai-400093 and others issued vide show cause notice number VIII/26/238/2011-DRI, dated the 6th May, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Chennai Zonal Unit, Chennai.

[F. No. 437/34/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 115/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3164(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, पांचवा तल, भूपति चैंबर्स, 13, मैथ्यू रोड, मुंबई-400004 के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट, मुंबई द्वारा जारी दिनांक 5 अगस्त, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एमज़ैडयू/एनएस/आईएनवी-09/13-14 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) प्रधान आयुक्त (सीमा शुल्क), न्हावा शेवा- I, मुंबई ज़ोन- II, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, जिला रायगढ़-400707;

(ii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), मुंबई ज़ोन-III, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/38/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 115/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3164(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on —

(i) the Principal Commissioner of Customs, Nhava Sheva-I, Mumbai Zone-II, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Dist. Raigad-400707;

(ii) the Principal Commissioner of Customs (I), Mumbai Zone-III, Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai-400099,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. ABG Shipyard Ltd., 5th floor, Bhupati Chambers, 13, Mathew Road, Mumbai-400004 and others issued vide Show Cause Notice number DRI/MZU/NS/INV-09/13-14, dated 5th August, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/38/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 116/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3165(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, पांचवा तल, "विंडसर", ऑफ. सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई-400098 व अन्य के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट, मुंबई द्वारा जारी दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एमज़ैडयू/बी/ईएनक्यू-2(आईएनटी-एनआईएल)/2014 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (पत्तन), स्ट्रैंड रोड, कस्टम हाऊस, कोलकाता-700001;

(ii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाऊस, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, नई दिल्ली-110037;

(iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स (आयात), मुंबई ज़ोन- III, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099;

(iv) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा- I), मुंबई ज़ोन- II, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, तालुका-उरण, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र-400707;

(v) आयुक्त, सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, पटपड़गंज व अन्य डिपो, आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/39/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 116/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on —

(i) the Principal Commissioner of Customs (Port), Strand Road, Custom House, Kolkatta-700001;

(ii) the Principal Commissioner of Customs, Air Cargo Complex (Import), New Custom House, Near IGI Airport, New Delhi – 110 037;

(iii) the Principal Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex (Import), Mumbai Zone III, Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai – 400099;

(iv) the Principal Commissioner of Customs (Nhava Sheva-I), Mumbai Zone II, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Taluka Uran, Dist. Raigad, Maharashtra – 400707;

(v) the Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Patparganj and other Depots, ICD Tughlakabad, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Idea Cellular Ltd., 5th floor, "Windsor", Off. CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai-400098 and others issued vide Show Cause Notice number DRI/MZU/B/ENQ-2(INT-NIL)/2014, dated the 18th December, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/39/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 117/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3166(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, सातवां तल, इंटरफेस-7, न्यू लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई -400064 के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट, मुंबई द्वारा जारी दिनांक 5 जनवरी, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआइ/एमज़ैडयू/बी/ईएनक्यू-5(आइएनटी-एनआइएल)/2014 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स (आयात), मुंबई ज़ोन- III, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099;

(ii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाऊस, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, नई दिल्ली-110037;

(iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, एकीकृत हवाई निर्यात कॉम्पलेक्स, चेन्नै-600027;

(iv) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, प्रधान आयुक्त (सीमा शुल्क) का कार्यालय, एयरपोर्ट व एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सी. आर. बिल्डिंग, क्वीन्स् रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 5400, बेंगलुरू-560001,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/40/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 117/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3166(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Principal Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex (Import), Mumbai Zone III, Sahar, Andheri (East), Mumbai-400099;

(ii) the Principal Commissioner of Customs, Air Cargo Complex (Import), New Custom House, Near IGI Airport, New Delhi-110037;

(iii) the Principal Commissioner of Customs (VII), Air Cargo Complex, Integrated Air Export Complex, Chennai-600027;

(iv) the Additional Commissioner of Customs, Office of the Principal Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, C.R. Building, Queen's Road, P.B. No. 5400, Bengaluru-560001,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Bharti Airtel Ltd., 7th floor, Interface-7, New Link Road, Malad (West), Mumbai-400064, issued vide Show Cause Notice number DRI/MZU/B/ENQ-5(INT-NIL)/2014, dated the 5th January, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/40/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 118/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3167(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स केयरस्ट्रीम हैल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सनटैक सेंटर, पहली मंजिल, सुभाष रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई-400057 व अन्य के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट, मुंबई द्वारा जारी दिनांक 29 नवम्बर, 2014 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एमजैडयू/एनएस/आईएनवी-10/2013-14 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, एकीकृत एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, चेन्नै-600027;

(ii) सहायक या उप आयुक्त, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I) का कार्यालय, हवाई अड्डा, एकीकृत हवाई निर्यात कॉम्पलेक्स, चेन्नै-600027;

(iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (II), कस्टम हाऊस, 60, राजाजी सलै, चेन्नै-600001;

(iv) संयुक्त या अपर आयुक्त, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III) का कार्यालय, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, (आयात), मुंबई ज़ोन- III, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099;

(v) संयुक्त या अपर आयुक्त, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (एयरपोर्ट व एयर कार्गो कॉम्पलेक्स) का कार्यालय, 15/1, स्ट्रैंड रोड, कस्टम हाऊस, कोलकाता-700001;

(vi) संयुक्त या अपर आयुक्त, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क का कार्यालय, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, (आयात), न्यू कस्टम हाऊस, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के पास, नई दिल्ली-110037,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/41/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 118/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3167(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Principal Commissioner of Customs (VII), Air Cargo Complex, Integrated Air Cargo Complex, Chennai-600027;

(ii) the Assistant or Deputy Commissioner of Customs in the office of the Principal Commissioner of Customs (I), Air Port, Integrated Air Export Complex, Chennai-600027;

(iii) the Principal Commissioner of Customs (II), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai-600001;

(iv) the Joint or Additional Commissioner of Customs in the office of the Principal Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex, (Import), Mumbai Zone-III, Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai-400099;

(v) the Joint or Additional Commissioner of Customs in the office of the Principal Commissioner of Customs (Air Port and Air Cargo Complex), 15/1, Strand Road, Custom House, Kolkata-700001;

(vi) the Joint or Additional Commissioner of Customs in the office of the Principal Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, (Import), New Custom House, Near IGI Airport, New Delhi-110037,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Carestream Health India Pvt. Ltd., Sunteck Centre, 1st floor, Subash Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057 and others issued vide Show Cause Notice number DRI/MZU/NS/INV-10/2013-14, dated the 29th November, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/41/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 नवम्बर, 2015

सं. 119/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3168(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड, सलाया एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, 44 के एम, पोस्ट बॉक्स सं. 7, जामनगर-ओखा राजमार्ग, पोस्ट खमबालिया, जिला जामनगर, गुजरात, मैसर्स एस्सार पावर एम.पी. लिमिटेड, प्रकाश दीप, दसवां तल, 7 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001, मैसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स सं. 24, पोस्ट खमबालिया, जिला जामनगर, गुजरात-361305, मैसर्स एस्सार प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड, एस्सार हाऊस, 11, के.के. मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400034 व अन्य के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट, मुंबई द्वारा जारी दिनांक 11 मार्च, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एमज़ैडयू/सीआई-11/2013-14 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III) - (एयर कार्गो कॉम्पलेक्स-आयात), मुंबई ज़ोन- III;

(ii) आयुक्त, सीमा शुल्क, (आयात- I), मुंबई, ज़ोन- I;

(iii) आयुक्त, सीमा शुल्क, कांडला;

(iv) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, मुंद्रा;

(v) आयुक्त, सीमा शुल्क, (न्हावा शेवा- III), मुंबई, ज़ोन- II;

(vi) आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर;

(vii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (पत्तन), कोलकाता;

(viii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, (एयरपोर्ट व एयर कार्गो कॉम्पलेक्स), कोलकाता;

(ix) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, विशाखापट्नम;

(x) आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), भुवनेश्वर;

(xi) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, (आयात), नई दिल्ली;

(xii) आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/42/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 119/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3168(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Principal Commissioner of Customs (III)-(Air Cargo Complex-Import), Mumbai Zone-III;

(ii) the Commissioner of Customs, (Import-I), Mumbai, Zone-I;

(iii) the Commissioner of Customs, Kandla;

(iv) the Principal Commissioner of Customs, Mundra;

(v) the Commissioner of Customs, (Nhava Sheva-III), Mumbai, Zone-II;

(vi) the Commissioner of Customs, (Preventive), Jamnagar;

(vii) the Principal Commissioner of Customs (Port), Kolkata;

(viii) the Principal Commissioner of Customs (Airport and Air Cargo Complex), Kolkata;

(ix) the Principal Commissioner of Customs, Visakhapatnam;

(x) the Commissioner of Customs, (Preventive), Bhubaneshwar;

(xi) the Principal Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, (Import), New Delhi;

(xii) the Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Essar Power Gujarat Limited, Salaya Administrative Bldg. 44 KM, P.B. No. 7, Jamnagar-Okha Highway, Post Khambhaliya, Jamnagar District, Gujarat, M/s Essar Power M.P. Limited, Prakash Deep, 10th floor, 7th Tolstoy Marg, New Delhi-110 001, M/s Essar Oil Limited, Post Box No. 24, Khambhalia Post, Jamnagar District, Gujarat-361305, M/s Essar Projects (India) Limited, Essar House, 11, K.K. Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400 034 and others issued vide Show Cause Notice number DRI/MZU/CI-11/2013-14, dated 11th March, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/42/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 120/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3169(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स केनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सातवां तल, टॉवर बी, बिल्डिंग #5, डीएलएफ एपीटोम, डीएलएफ फेज III, गुड़गांव को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल यूनिट, दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 9 अगस्त, 2014 के कारण बताओ नोटिस सं. 23/85/2013-डीज़ैडयू, (पीटी. केनन)/3853 से 3858 तक से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) आयुक्त, सीमा शुल्क (आई एंड जी), न्यू कस्टम हाऊस, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, नई दिल्ली;

(ii) आयुक्त, सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, 'आईसीडी', तुगलकाबाद, नई दिल्ली,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना महानिदेशालय, नई दिल्ली को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/44/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 120/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on -

(i) the Commissioner of Customs (I&G), New Custom House, Near I G I Airport, New Delhi;

(ii) the Commissioner of Customs, Inland Container Depot, 'ICD', Tughlakabad, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Canon India Pvt. Ltd., 7th Floor, Tower B, Building # 5 DLF Epitome, DLF Phase III, Gurgaon issued vide Show Cause Notice number 23/85/2013-DZU (Pt.Canon)/3853 to 3858, dated the 9th August 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, Delhi.

[F. No. 437/44/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 121/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3170(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स ओम एंटरप्राइजेस्, शॉप सं. 108, सी-ब्लॉक, सेंट्रल मार्केट, मामचंद प्लाजा, भिवाड़ी, राजस्थान व अन्य के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल यूनिट, दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 04 जुलाई, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. 23/93/2012-डीज़ैडयू(एजे)/3385-3424 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(ii) उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी, फरीदाबाद, हरियाणा;

(iii) उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (समुद्र पत्तन-आयात), कस्टम हाऊस, 60, राजाजी सलै, चेन्नै;

(iv) उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी, मुलुंड, मुंबई, महाराष्ट्र;

(v) आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(vi) अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी, फरीदाबाद, हरियाणा;

(vii) अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी, मुलुंड, मुंबई, महाराष्ट्र;

(viii) अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी, पटपड़गंज, नई दिल्ली;

(ix) अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क (समुद्र पत्तन-आयात), कस्टम हाऊस, 60, राजाजी सलै, चेन्नै;

(x) उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(xi) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/47/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 121/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), ICD, Tughlakabad, New Delhi;

(ii) the Assistant/Deputy Commissioner of Customs, ICD, Faridabad, Haryana;

(iii) the Assistant/Deputy Commissioner of Customs (SeaPort-Import), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai;

(iv) the Assistant/Deputy Commissioner of Customs, ICD, Mulund, Mumbai, Maharashtra;

(v) the Commissioner of Customs,(Import), ICD, Tughlakabad, New Delhi;

(vi) the Joint/Additional Commissioner of Customs, ICD, Faridabad, Haryana;

(vii) the Joint/Additional Commissioner of Customs, ICD, Mulund, Mumbai, Maharashtra;

(viii) the Joint/Additional Commissioner of Customs, ICD, Patparganj, New Delhi;

(ix) the Joint/Additional Commissioner of Customs (Seaport-Import), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai;

(x) the Assistant/Deputy Commissioner of Customs(Import), ICD, Tughlakabad, New Delhi;

(xi) the Additional Commissioner of Customs(Import), ICD, Tughlakabad, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Om Enterprises, Shop No.108, C-Block, Central Market, Mamchand Plaza, Bhiwadi, Rajasthan and others issued vide Show Cause Notice number 23/93/2012-DZU(AJ)/3385-3424, dated the 4th July, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, Delhi.

[F. No. 437/47/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 नवम्बर, 2015

सं. 122/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3171(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड, जिंदल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, ज़ोनल यूनिट, अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 09 अप्रैल, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एज़ैडयू/सीआई/ईएनक्यू-22(आईएनटी-06/2015)/2015 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-I, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, ताल उरण, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र-400707;

(ii) प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क (IV), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स-निर्यात, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-I, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/48/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 122/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3171(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Principal Commissioner/Commissioner of Customs, Nhava Sheva-I, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on the following—

(i) the Principal Commissioner/Commissioner of Customs, Nhava Sheva-I, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Tal Uran, Dist. Raigad, Maharashtra-400707;

(ii) the Principal Commissioner/Commissioner of Customs(IV), Air Cargo Complex-Export, Sahar, Andheri(East), Mumbai-400099,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Jindal Saw Ltd., Jindal Centre, 12, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 issued vide Show Cause Notice number. DRI/AZU/CI/ENQ-22(INT-06/2015)/2015, dated the 9th April, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/48/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 नवम्बर, 2015

सं. 123/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3172(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स फार्मालैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धिविनायक एस्टेट, सांतेज-वडसर रोड, सांतेज, तालुका कलोल, जिला गांधीनगर व अन्य को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद ज़ोनल यूनिट, अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 19 जून, 2015 के कारण बताओ नोटिस डीआरआई/एजैडयू/सीआई-2/ईएनक्यू-28(आईएनटी-08/14)/2014 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, कस्टम हाऊस, नवरंगपुरा, ऑल इंडिया रेडियो के पास, अहमदाबाद;

(ii) प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, कस्टम हाऊस, मुंद्रा;

(iii) प्रधान आयुक्त/ आयुक्त – IV, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/51/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 123/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and Sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Principal Commissioner/Commissioner, Customs Commissionerate, Ahmedabad to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Principal Commissioner/Commissioner, Customs Commissionerate, Custom House, Navrangpura, Near All India Radio, Ahmedabad;

(ii) the Principal Commissioner/Commissioner, Customs Commissionerate, Custom House, Mundra;

(iii)the Principal Commissioner/Commissioner-IV, Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Pharmalab India Pvt. Ltd., Siddhivinayak Estate, Santej-Vadsar Road, Santej, Taluka Kalol, Dist. Gandhinagar and others issued *vide* show cause notice number DRI/AZU/CI-2/ENQ-28(INT-08/14)/2014,dated the 19th June, 2015, by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/51/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 124/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3173(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1)और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 13, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंबा रोड के पास, नई दिल्ली को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, लखनऊ ज़ोनल यूनिट, लखनऊ द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2013 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एनसीओ/फोलो-अप/26/2013 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, मुंबई;

(ii) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, आइसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(iii) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), सीमा शुल्क (आयात व सामान्य) आयुक्त का कार्यालय, न्यू कस्टम हाऊस, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, नई दिल्ली,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/53/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 124/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint/Additional Commissioner of Customs(Imports), ICD Tughlakabad, New Delhi to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on –

(i) the Joint/Additional Commissioner of Customs(Imports), O/o the Commissioner of Customs, JNCH, Nhava Sheva, Mumbai;

(ii) the Joint/Additional Commissioner of Customs(Imports), O/o the Commissioner of Customs, ICD Tughlakabad, New Delhi;

(iii) the Joint/Additional Commissioner of Customs(Imports), O/o the Commissioner of Customs (Import and General), New Customs House, Near IGI Airport, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Delhi Metro Rail Corporation Ltd., 13, Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Near Barakhamba Road, New Delhi issued vide show cause notice number DRI/NCO/Follow-up/26/2013, dated the 5th June, 2013 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Lucknow Zonal Unit, Lucknow.

[F. No. 437/53/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 125/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3174(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स जेएमटी ऑटो लिमिटेड, प्लॉट सं. सी-19/20, डी/2,3, एनएस-35 (पी) सातवां फेज, औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर, जमशेदपुर-832109 व अन्य के संबंध में अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, लखनऊ ज़ोनल यूनिट, लखनऊ द्वारा जारी दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के कारण बताओ नोटिस सं. 718(ii)11/सीओएमआर/पीआरयू/2011-12 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ

(i) अपर आयुक्त (सीमा शुल्क), (एयर कार्गो कॉम्पलेक्स), 15/1, स्ट्रेंड रोड, कस्टम हाऊस, कोलकाता-700001;

(ii) अपर आयुक्त (सीमा शुल्क), कोलकाता-700001,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर आयुक्त (सीमा शुल्क), कस्टम हाऊस, कोलकाता को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/56/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 125/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3174(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and Sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs, Custom House, Kolkata to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on -

(i) the Additional Commissioner of Customs, (Air Cargo Complex), 15/1, Strand Road, Custom House, Kolkata-700001;

(ii) the Additional Commissioner of Customs, Kolkata-700001,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. JMT Auto Limited, Plot No. C-19/20, D/2, 3, NS-35 (P) 7th Phase, Industrial Area, Adityapur, Jamshedpur-832109 and others issued vide Show Cause Notice number. 718(ii)11/Comr/PRU/2011-12, dated 31st December, 2012 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Lucknow Zonal Unit, Lucknow.

[F. No. 437/56/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 126/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3175(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमीशन कम्पनी लिमिटेड, ' अडाणी हाऊस' , मिथखली सिक्स रोडस्, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 व अन्य के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, ज़ोनल यूनिट, मुंबई द्वारा जारी दिनांक 15 मई, 2014 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एमजैडयू/सीआई-224/(पीएमसी)/2013/4488-4491 एवम् 4509-4515 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ

(i) आयुक्त, सीमा शुल्क, कस्टम हाऊस, कांडला;

(ii) आयुक्त, सीमा शुल्क (पत्तन आयात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/62/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 126/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3175(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Commissioner of Customs, Customs House, Kandla;

(ii) the Commissioner of Customs (Port Import), Jawaharlal Nehru Customs House, Nhava Sheva,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Maharashtra Eastern Grid Power Transmission Company Limited, 'Ädani House', Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380009 and others issued vide Show Cause Notice number DRI/MZU/CI-224(PMC)/2013/4488-4491 and 4509-4515, dated 15th May, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/62/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 127/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3176(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स दावरिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, डी डब्ल्यू 6350, भारत डायमंड बाउर्से, डी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 के संबंध में अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, ज़ोनल यूनिट, अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एजैडयू/जीआई-2/ईएनक्यू-44(आईएनटी-5/13)/2014 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई;

(ii) संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/63/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 127/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3176(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (E),

Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (E), Mumbai;

(ii) the Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (E), Mumbai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Davariya Brothers Pvt. Ltd., DW 6350, Bharat Diamond Bourse, D Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai–400051 issued vide show cause notice number DRI/AZU/GI-2/ENQ-44(INT-5/13)/2014, dated the 22nd April, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/63/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 128/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3177(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स स्टर्लाइट टेक्नॉलोजीज् लिमिटेड, जीई-1, ई-2, औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, वालुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431136 व अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, क्षेत्रीय इकाई, हैदराबाद द्वारा जारी दिनांक 31 मई, 2013 के कारण बताओ नोटिस सं. VIII/26/07/2010-एचआरयू से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ

(i) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, ताल-उरण, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र-400707;

(ii) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020;

(iii) संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, मुंबई,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद् द्वारा संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-V, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, मुंबई ज़ोन – II को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/64/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 128/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3177(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint/Additional Commissioner of Customs, Nhava Sheva-V, Jawaharlal Nehru Custom

House, Mumbai Zone-II to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Additional Commissioner of Customs (Import), Office of the Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Tal-Uran, District-Raigad, Maharashtra-400707;

(ii) the Additional Commissioner of Customs (Import), Office of the Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi-110020;

(iii) the Joint Commissioner of Customs (Import), Office of the Commissioner of Customs (Imports), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Sterlite Technologies Limited, GE-1, E-2, Industrial Area, MIDC, Waluj, Aurangabad, Maharashtra-431136 and others issued vide Show Cause Notice number VIII/26/07/2010-HRU, dated 31st May, 2013 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Regional Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/64/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 129/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3178(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स सीताराम एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 73-9/2 एवं 10/2, स्वर्ण पार्क, मेन रोहतक रोड, मुंडका, नांगलोई, दिल्ली-110041 व अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, क्षेत्रीय इकाई, हैदराबाद द्वारा जारी दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के कारण बताओ नोटिस सं. VIII/26/36/2013-डीआरआई वीआईसी से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) संयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, मुंद्रा;

(ii) संयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, कांडला;

(iii) संयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी तुलगलकाबाद, नई दिल्ली,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा संयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, कस्टम हाऊस, कांडला को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/67/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 129/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Kandla to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Joint or Additional Commissioner of Customs, Mundra;

(ii) the Joint or Additional Commissioner of Customs, Kandla;

(iii) the Joint or Additional Commissioner of Customs, ICD Tughlakabad, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Sita Ram and Company (P) Ltd, 73-9/2 & 10/2, Swarn Park, Main Rohtak Road, Mundka, Nangloi, Delhi-110041 and others issued vide Show Cause Notice number VIII/26/36/2013-DRI VIC, dated 29th September, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Regional Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/67/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 130/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3179(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स कोमात्सू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रोथ सेंटर, ओरागादम, थेनेरी (वाया), जिला कांचीपुरम्, तमिलनाडु को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, ज़ोनल यूनिट, हैदराबाद द्वारा जारी दिनांक 26 मार्च, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. VIII/26/12/2011-एचआरयू से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, तालुका-उरण, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र-400707;

(ii) आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099;

(iii) आयुक्त, सीमा शुल्क (समुद्र पत्तन-आयात), कस्टम हाऊस, 60, राजाजी सलै, चेन्नै-600001,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा-I, न्हावा शेवा, तालुका-उरण, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/68/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 130/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3179(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva-I, Nhava Sheva, Taluka-Uran, District-Raigad, Maharashtra to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Taluka-Uran, District-Raigad, Maharashtra-400707;

(ii) the Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri(E), Mumbai-400099;

(iii) the Commissioner of Customs (Sea Port-Imports), Custom House,60, Rajaji Salai, Chennai-600001,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Komatsu India Private Limited, Industrial Park, Growth Centre, Oragadam, Thenneri (via), Kanchipuram District, Tamilnadu issued vide Show Cause Notice number VIII/26/12/2011-HRU, dated 26th March,2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/68/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 131/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3180(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड श्री फाहिम अनवरभाई ज़ादा, प्रोपराइटर, मैसर्स परफैक्ट एक्सपोर्ट्स, एच-3, निशात सोसायटी, अडाजन पाटिया, रांदेर रोड, सूरत, गुजरात, पिन-395009 व अन्य के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता ज़ोनल यूनिट, कोलकाता द्वारा जारी दिनांक 19 मार्च, 2015 के कारण बताओ नोटिस सं. 103/केओएल/एपीपी/2011/एक्सपोर्टर/पीटी-एक्सपोर्टर/परफैक्ट एक्सपोर्ट्स/8038-8047 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, 15/1, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001;

(ii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (पत्तन), विशाखापटनम, कस्टम हाऊस, पोर्ट एरिया, विशाखापटनम-530035;

(iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर-I, तेलंगखेडी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001;

(iv) आयुक्त, सीमा शुल्क-IV, चेन्नै, 60, राजाजी सलै, चेन्नै-600001;

(v) आयुक्त, सीमा शुल्क (पत्तन), कांडला, कस्टम हाऊस, बालाजी मंदिर के पास, कांडला-370210;

(vi) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क(सामान्य), मुंबई, ज़ोन- I, न्यू कस्टम हाऊस, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001;

(vii) आयुक्त, सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, पटपड़गंज एवं अन्य अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, दिल्ली, गांव-गाज़ीपुर, गाज़ीपुर बस डिपो के पास, नई दिल्ली;

(viii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, न्हावा शेवा- II, जवाहर लाल नेहरु कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, ताल. उरण, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र-400707,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा आयुक्त, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, पटपड़गंज, गांव गाज़ीपुर, दिल्ली को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/69/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 131/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs

hereby appoints the Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Patparganj, Village Ghazipur, Delhi, to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Commissioner of Customs(Preventive), West Bengal, Kolkata, 15/1, Strand Road, Kolkata-700001;

(ii) the Principal Commissioner of Customs (Port), Visakhapatnam, Custom House, Port Area, Visakhapatnam-530035;

(iii) the Principal Commissioner of Customs & Central Excise, Nagpur-I, Telangkhedi Road, Civil Lines, Nagpur-440001;

(iv) the Commissioner of Customs-IV, Chennai, 60, Rajaji Salai, Chennai-600001;

(v) the Commissioner of Customs (Port), Kandla, Custom House, Near Balaji Temple, Kandla-370210;

(vi) the Principal Commissioner of Customs (General), Mumbai, Zone-I, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai-400001;

(vii) the Commissioner of Customs, Inland Container Depot Patparganj and other Inland Container Depots, Delhi, Village-Gazipur, Near Gazipur Bus Depot, New Delhi;

(viii) the Principal Commissioner of Customs, Nhava Sheva-II, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Tal: Uran, District Raigad, Maharashtra-400707,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to Shri Fahim Anwarbhai Zada, Proprietor, M/s Perfect Exports, H-3, Nishat Society, Adajan Patia, Rander Road, Surat, Gujarat, Pin-395009 and others issued vide show cause notice number 103/KOL/APP/2011/Exporter/Pt- Exporter/perfect Exports/8038-8047, dated the 19th March, 2015 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit, Kolkata.

[F. No. 437/69/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सं. 132/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3181(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स अडाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (एपीएमएल), मैसर्स अडाणी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) व अन्य के संबंध में अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट, मुंबई द्वारा जारी दिनांक 15 मई, 2014 के कारण बताओ नोटिस सं. डीआरआई/एमज़ैडयू/सीआई-224(एपीएमएल/एपीआरएल)/2013 से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ —

(i) आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा;

(ii) आयुक्त, सीमा शुल्क, कांडला;

(iii) आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद,

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 437/75/2015-सीमा शुल्क-IV]

ज़ैड. आर. कामिलि, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

No. 132/2015-Customs (N.T.)

S.O. 3181(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(xiii) the Commissioner of Customs (Import) Nhava Sheva;

(xiv) the Commissioner of Customs, Kandla;

(xv) the Commissioner of Customs, Ahmedabad,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Adani Power Maharashtra Ltd. (APML), M/s Adani Power Rajasthan Limited (APRL) & others issued vide Show Cause Notice number DRI/MZU/CI-224(APML/APRL)/2013, dated the 15th May, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/75/2015-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.